न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
22/2019/प्रा.पत्र/2019	01.05.2019	15.09.2022

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक ....प्रार्थी

बनाम

1–श्री विमल कुमार जैन पुत्र श्री नन्दकिशोर जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स नरेन्द्र एण्ड कम्पनी ट्रक स्टैण्ड के पास मालपुरा जिला टोंक निवासी वार्ड नं. महावीर चौक माणक चौक बाजार मालपुरा जिला टोंक
2–मैसर्स नरेन्द्र एण्ड कम्पनी ट्रक स्टैण्ड के पास मालपुरा जिला टोंक
3–श्री कमलेश कुमार जैन पुत्र श्री ताराचन्द जैन प्रोपरायटर मैसर्स कासलीवाल ट्रेडर्स माणक चौक मालपुरा जिला टोंक राज.
4–मैसर्स कासलीवाल ट्रेडर्स माणक चौक मालपुरा जिला टोंक राज.
5–श्री रामावतार शर्मा पुत्र श्री जगदीश नारायण शर्मा प्रोपरायटर श्री अंजनी फूड प्रोडक्ट्स प्लॉट नं. 4, केशव विद्यापीठ के पास आगरा रोड जामडोली जयपुर राज. निवासी 16 राज विहार आगरा रोड जामडोली जयपुर
6–मैसर्स श्री अंजनी फूड प्रोडक्ट्स प्लॉट नं. 4, केशव विद्यापीठ के पास आगरा रोड जामडोली जयपुर राज.

............अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा (ii) एफएसएसए एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार उप.।
2–अभिभाषक श्री जितेन्द्र जैन एडवोकेट।

:–निर्णय–: **दिनांक 15.09.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.02.2019 को समय 03:11 पीएम पर मैसर्स नरेन्द्र एण्ड कम्पनी ट्रक स्टैण्ड के पास मालपुरा जिला टोंक राज. पर पहुंचा। वहां पर श्री विमल कुमार जैन पुत्र श्री नन्दकिशोर जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री विमल कुमार जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया एवं खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **नमकीन श्री अंजनी पॉली पैक (Namkeen Shri Anjani Poly Pack)** जिसके बैच नं. 61 व पैकिंग दिनांक फरवरी 2019 थी, 400–400 ग्राम के 28 पैकेट दुकान की रैक में रखे हुये थे, जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री विमल कुमार जैन को फार्म नं. 5 ए दो

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में एफ.बी.ओ श्री विमल कुमार जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **नमकीन श्री अंजनी पॉली पैक (Namkeen Shri Anjani Poly Pack)** वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 400–400 ग्राम के 4 मूल पैक खरीदे, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 400–400 ग्राम के 4 नग कुल मात्रा 1600 ग्राम **नमकीन श्री अंजनी पॉली पैक (Namkeen Shri Anjani Poly Pack)** को बराबर–बरावर (एक भाग 400 ग्राम) अलग–अलग चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बे में अलग–अलग ज्यों का त्यों साफ प्रिन्टेड रखकर, डिब्बों के ढक्कन को एयरटाईट बन्द किया, एवं चारों भाग हेतु चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2103 एवं पूर्ण विवरण अकित किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक ने स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2103 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

खाद्य पदार्थ **नमकीन श्री अंजनी पॉली पैक (Namkeen Shri Anjani Poly Pack)** का नमूना क्रय करते समय श्री विमल कुमार जैन पुत्र श्री नन्दकिशोर जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स नरेन्द्र एण्ड कम्पनी ट्रक स्टैण्ड के पास मालपुरा जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी कोई खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया एवं दिनांक 03.04.2019 को आवेदक के कार्यालय में प्रस्तुत होकर बतौर वारन्टी मैसर्स कासलीवाल ट्रेडर्स माणक चौक मालपुरा जिला टोंक राज. का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त नमकीन क्रय करना बताया। आवेदक ने प्रबंधक मैसर्स कासलीवाल ट्रेडर्स माणक चौक मालपुरा जिला टोंक राज. को पत्र प्रेषित कर फार्म नं. 5 ए की सूचना व आवश्यक दस्तावेज मंगवाने बाबत् पत्र प्रेषित किया जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र व जीएसटी रजि. व आधार कार्ड की छायाप्रति एवं बतौर वारन्टी मैसर्स श्री अंजनी फूड प्रोडक्ट्स प्लॉट नं. 4, केशव विद्यापीठ के पास आगरा रोड जामडोली जयपुर राज. का वारन्टी बिल की छायाप्रति प्रेषित की।

आवेदक ने प्रबंधक मैसर्स श्री अंजनी फूड प्रोडक्ट्स प्लॉट नं. 4, केशव विद्यापीठ के पास आगरा रोड जामडोली जयपुर राज. को पत्र प्रेषित कर फार्म नं. 5ए व नमूना जांच रिपोर्ट की सूचना व आवश्यक दस्तावेज मंगवाने बाबत् पत्र प्रेषित किया जिसके प्रतिउत्तर में उक्त

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म का रजि. सर्टिफिकेट फार्म 03 व खाद्य अनुज्ञा लाईसेन्स की छायाप्रति व आधार कार्ड की छायाप्रति प्रेषित की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./19/692 दिनांक 22.03.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट सं. एल.एस./420/एक्ट/2019/233 दिनांक 06.03.2019 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **नमकीन श्री अंजनी पॉली पैक (Namkeen Shri Anjani Poly Pack)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता/फर्मों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 11.07.2019 को श्री जितेन्द्र जैन एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया एवं जवाब पेश करने हेतु समय चाहा परन्तु जवाब हेतु कई अवसर देने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं किया गया और ना ही अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित हुए। अतः पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **नमकीन श्री अंजनी पॉली पैक (Namkeen Shri Anjani Poly Pack)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **नमकीन श्री अंजनी पॉली पैक (Namkeen Shri Anjani Poly Pack)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 30,000/– (अक्षरे तीस हजार रूपये), अप्रार्थी सं. 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 45,000/–(अक्षरे पैंतालीस हजार रूपये) तथा अप्रार्थी सं. 5 व 6 पर कुल शास्ति रूपये 1,50,000/– (अक्षरे एक लाख पचास हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 15.09.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0